

# **GAUTAM BUDH NAGAR**

### सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 24.09.2021

1-थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाला अभियुक्त चोरी किये गये सामान सिहत गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये गये 04 मोबाइल फोन, 03 मोबाइल चार्जर, 01 ई-बैंड, एक कलाई घडी, एक मंगलसूत्र पीली धातु, एक पायल सफेद धातु, दो कानो के झुमके सफेद धातु, एक अंगूठी सफेद धातु व 01 बालो के जूडे की पिन सफेद धातु बरामद।

दिनांक 23/09/2021 को थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा घर में घुसकर चोरी करने वाले अभियुक्त 1. अभिषेक पुत्र श्री कैलाशचन्द्र ग्राम जलीलपुर थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर वर्तमान पता पुस्ता पार ग्राम सोरखा थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर को सेक्टर 112 नोएडा चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किये गये 04 मोबाइल फोन, 03 मोबाइल चार्जर, 01 ई-बैंड 3, एक इलेक्ट्रानिक कलाई घडी, एक मंगलसूत्र पीली धातु, एक पायल सफेद धातु, दो कानो के झुमके सफेद धातु, एक अंगूठी सफेद धातु व 01 बालो के जूडे की पिन सफेद धातु बरामद की गयी है।

### अभियुक्त का विवरणः

अभिषेक पुत्र श्री कैलाशचन्द्र ग्राम जलीलपुर थाना जहाँगीराबाद जनपद बुलन्दशहर हाल पता पुस्ता पार ग्राम सोरखा थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्वनगर ।

### पंजीकृत अभियोग का विवरणः

1. मु०अ०सं० ०९८१/२०२१ धारा ३८०/४११ भादवि० बनाम अभिषेक थाना सेक्टर ४९ नोएडा गौतमबुद्धनगर।

### बरामदगी का विवरण:

- 1. चार मोबाइल फोन
- 2. तीन मोबाइल चार्जर
- 3. एक ईबैंड
- 4. एक इलेक्ट्रानिक कलाई घडी
- 5. एक मंगलसूत्र पीली धातु
- 6. एक पायल सफेद धातु
- 7. दो कानो के झुमके सफेद धातु
- 8. एक अँगूठी सफेद धातु
- 9. एक बालो के जूडे की पिन सफेद धातु।



2-थाना सेक्टर 58 पुलिस द्वारा आई-20 कार लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुये 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 आई-20 कार, घटना में प्रयुक्त दो मो0सा0, 01 अवैध चाकू, 01 पिस्टलनुमा लाइटर, 01 छर्रे वाली ऐयरगन, 05 मोबाइल फोन व 04 सिम कार्ड आदि बरामद।

दिनांक 24.09.2021 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा आई-20 कार लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुये 05 अभियुक्तों 1. कार्तिक पुरुष वानी पुत्र अनिल पुरुष वानी निवासी बी-177 पॉकेट ए-3 मयूर विहार फेस-3 थाना गाजीपुर दिल्ली, 2.विकास उर्फ मोनू पुत्र जितेन्द्र निवासी ई-195 गली नं0-06 ईस्ट विनोद नगर थाना पाण्डव नगर दिल्ली, 3. शिवम बाल्मिकी पुत्र जय किशन बाल्मिकी निवासी 12/298 कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली, 4. युवराज विनायक पुत्र नरेश कुमार खत्री निवासी मकान नं0- एफ -205 लक्ष्मी नगर थाना शकरपुर दिल्ली, 5.अभिषेक उर्फ काकू पुत्र जगमोहन शर्मा निवासी बी-17/2 कृष्णा नगर थाना गीता कालोनी दिल्लीको गुप्ता तिराहा सेक्टर-57 से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक कार आई-20(रंग सफेद नं0 यूपी14ईएन-8447), घटना में प्रयुक्त / चोरी के दो मो0सा0 क्रमशः (डीएल7एससीजी-0348 व डीएल5एससीएफ-4795), एक चाकू नाजायज, एक पिस्टलनुमा लाईटर ,एक छर्रे वाली ऐयरगन, पांच मोबाईल फोन,चार सिम कार्ड, व अन्य प्रपत्र बरामद हुये है।

### घटना का विवरण-

अभियुक्त विकास जस्ट डायल में काम करता है व कार्तिक बीटेक का छात्र है, जो मोबाईल फोन का लॉक तोड़ने में माहिर है, इन दोनो ने जस्ट डायल में कुछ पैसा लगाया था जो डूब गया था, जिस कारण इन लोगो को 8-9 लाख रूपये का नुकसान हो गया था, उस पैसे की भरपाई के लिय युवराज से मिलकर जिसकी मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान फेस-3 मे है और मोबाईल स्नैचिंग भी कराता है व चोरी/स्नैचिंग के मोबाइल फोन को भी खरीदने व बेचने का कार्य करता है के साथ मिलकर दो दिन पहले ये पांच अभियुक्त सेक्टर-62 नोएडा आये और सबसे पहले एक आई-10 गाडी का पीछा किया लेकिन वह गाडी निकल गई उसके बाद इन्होने आई-20 गाडी का पीछा किया और बोला कि आपका पीछे का बम्फर टूट गया है जब वादी ने अपनी गाडी को थोडी दूर जाकर रोक लिया रोकने के बाद युवराज ने नकली पिस्टल (एयरगन) से व कार्तिक ने पिस्टलनुमा लाइटर लगाकर वादी को गाडी से नीचे उतारकर कार्तिक व शिवम कार को लूट कर लेकर गये, अपाचे गाडी पर युवराज व

अभिषेक व विकास स्पलेण्डर गाडी से थापर गेट होते हुये खोडा गये और फिर वहां से ये दिल्ली प्रवेश कर के निकल गये। इस सूचना पर थाना सेक्टर 58 पर मु0अ0सं0-840/2021 धारा 392 भादिव पंजीकृत किया गया, उक्त घटना को अनावरण हेतु टीम ने लगभग 250 सीसीटीवी फुटेज देखकर घटना स्थल से लेकर दिल्ली तक घटना का रूटचार्ट बनाया गया, इसके आधार पर बदमाशों की पहचान कर गिरफ्तार किया गया है।

### अभियुक्तों का विवरणः

- 1. कार्तिक पुरुष वानी पुत्र अनिल पुरुष वानी निवासी बी-177 पॉकेट ए-3 मयूर विहार फेस-3 थाना गाजीपुर दिल्ली
- 2. विकास उर्फ मोनू पुत्र जितेन्द्र निवासी ई-195 गली नं0-06 ईस्ट विनोद नगर थाना पाण्डव नगर दिल्ली
- 3. शिवम बाल्मिकी पुत्र जय किशन बाल्मिकी निवासी 12/298 कल्याणपुरी थाना कल्याणपुरी दिल्ली
- 4. युवराज विनायक पुत्र नरेश कुमार खत्री निवासी मकान नं0- एफ -205 लक्ष्मी नगर थाना शकरपुर दिल्ली
- 5. अभिषेक उर्फ काकू पुत्र जगमोहन शर्मा निवासी बी-17/2 कृष्णा नगर थाना गीता कालोनी दिल्ली

### पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरणः

# अभियुक्त कार्तिक पुरुष वानी उपरोक्त:-

- 1. मु०अ०सं०-८४०/२०२१ धारा ३९२ भादवि बढोत्तरी धारा ३९५, ४१२ भादवि थाना सेक्टर-५८, नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु०अ०सं०-०१९०१८/२०२१ धारा ३७९ भादवि थाना ई-पुलिस स्टेशन क्रईम ब्रांच दिल्ली गौतमबुद्धनगर।
- 3. मु०अ०सं०-८४४/२०२१ धारा ४११, ४१४ भादवि थाना सेक्टर-५८ नोएडा गौतमबुद्धनगर।

### अभियुक्त विकास उपरोक्त:-

- 1. मु०अ०सं०-८४०/२०२१ धारा ३९२ भादवि बढोत्तरी धारा ३९५, ४१२ भादवि थाना सेक्टर-५८ नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु०अ०सं०-०१९०१८/२०२१ धारा ३७१ भादवि थाना ई-पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच दिल्ली
- 3. मु०अ०सं०-८४४/२०२१ धारा ४११, ४१४ भादवि थाना सेक्टर-५८ नोएडा गौतमबुद्धनगर। <u>अभियुक्त शिवम उपरोक्त:-</u>
- 1. मु०अ०सं०-८४०/२०२१ धारा ३९२ भादवि बढोत्तरी धारा ३९५, ४१२ भादवि थाना सेक्टर-5८, नोएडा
- 2. मु०अ०सं०-०१९०१८/२०२१ धारा ३७१ भादवि थाना ई-पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच दिल्ली
- 3. मु०अ०सं०-८४४/२०२१ धारा ४११, ४१४ भादवि थाना सेक्टर-५८ नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 4. मु०अ०सं०-८४५/२०२१ धारा ४/२५ आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-५८ नोएडा गौतमबुद्धनगर। <u>अभियुक्त युवराज उपरोक्त:-</u>
- 1. मु०अ०सं०-८४०/२०२१ धारा ३९२ भादवि बढोत्तरी धारा ३९५, ४१२ भादवि थाना सेक्टर-५८ नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु०अ०सं०-०१९०१८/२०२१ धारा ३७१ भादवि थाना ई-पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच दिल्ली
- 3. मु०अ०सं०-८४४/२०२१ धारा ४११, ४१४ भादवि थाना सेक्टर-५८ नोएडा गौतमबुद्धनगर। <u>अभियुक्त अभिषेक उपरोक्त:-</u>
- 1. मु०अ०सं०-८४०/२०२१ धारा ३९२ भादवि बढोत्तरी धारा ३९५, ४१२ भादवि थाना सेक्टर-५८, नोएडा गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु०अ०सं०-०१९०१८/२०२१ धारा ३७१ भादवि थाना ई-पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच दिल्ली
- 3. मु०अ०सं०-८४४/२०२१ धारा ४११, ४१४ भादवि थाना सेक्टर-५८ नोएडा गौतमबुद्धनगर।

#### बरामदगी का विवरण-

- 1. एक कार आई-20, रंग सफेद नं0 यूपी14ईएन-8447 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-840/2021 धारा 392 भादवि थाना सैक्टर-58 नोएडा)
- 2.घटना में प्रयुक्त व चोरी के दो मो0सा0 क्रमशः डीएल7एससीजी-0348 (सम्बन्धित मु0अ0सं0-019018/2021 धारा 379 भादवि थाना ई-पुलिस स्टेशन क्रईम ब्रांच दिल्ली) व डीएल5एससीएफ-4795
- 3. एक अवैध चाकू ,
- 4. एक पिस्टलनुमा लाइटर
- 5. एक अदद छर्रे वाला एयरगन
- 6. पांच मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी के)
- 7. चार सिम कार्ड, व अन्य प्रपत्र



3- थाना बीटा 2 पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये 148 पेटी इम्पीरियल ब्लू हरियाणा मार्का व पंजाब मार्का अवैध शराब को ले जाते टाटा ट्रक यू0पी0 24 एच 7052 किया बरामद। दिनांक 23/09/2021 को थाना बीटा-2 पुलिस एवं आबकारी पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये एक ट्रक टाटा रजि0 नं0- यू0पी0 24 एच 7052 को सिरसा की तरफ से आने पर रोकने का प्रयास किया गया जिस पर ट्रक चालक ट्रक को परिचौक की तरफ लेकर भागा, भागने पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो ट्रक चालक ट्रक को हैरिटैज होटल के पास खडा कर कूदकर भाग गया जिसको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ट्रक को चेक करने पर ट्रक से इम्पीरियल ब्लू 46 पेटी जिसमें प्रत्येक पेटी में 24-24 हाफ, 50 पेटी इम्पीरियल ब्लू जिसमें प्रत्येक में 48-48 पळे व नाइट ब्लू के 52 पेटी जिसमें प्रत्येक पेटी में 48-48 पळे तथा इम्पीरियल ब्लू के फ़ाँर सेल हरियाणा आसवानी कम्पनी बरामद हुई है।

### पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० ९४४/२०२१ धारा ६३/७२ उ०प्र० आबकारी अधि० व ४२० भा०द०वि० थाना बीटा-२ ग्रे०नो०

### अभियुक्तो का विवरण-

- 1.Blended and bottled by Pernod Ricard india pvt ltd at Rajasthan liquors ltd village haripur hindua derabasi distt sasnagar (mohali) punjab का प्रबन्धक नाम पता अज्ञात
- 2. Frost folcon distilleries ltd vill Jahari distt sonipat (Haryana) का प्रबन्धक नाम पता अज्ञात
- 3. हरिशपाल पुत्र हरिप्रसाद ग्राम गगौरा बसूमा थाना उजैनी बदाँयू ट्रक मालिक
- 4. ट्रक चालक नाम पता अज्ञात

#### बरामदगी का विवरण:

- 1.ट्रक टाटा यू०पी० २४ एच ७०५२
- 2. इम्पीरियल ब्लू 46 पेटी जिसमें प्रत्येक पेटी में 24-24 हॉफ हरियाणा मार्का
- 3. इम्पीरियल ब्लू 50 पेटी जिसमें प्रत्येक में 48-48 पव्वे पंजाब मार्का

4.नाइट ब्लू के 52 पेटी जिसमें प्रत्येक पेटी में 48-48 पव्वे तथा इम्पीरियल ब्लू हरियाणा मार्का



## 4-थाना सेक्टर 49 पुलिस द्वारा 04 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 23/09/2021 को वादिया द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री उम्र 04 वर्ष के साथ पडोस में ही रहने वाले प्रशान्त नाम के व्यक्ति द्वारा गलत काम करने का प्रयास किया गया है, सूचना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना सेक्टर 49 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 982/2021 धारा 376 क ख भादवि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया तथा पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये दिनांक 24.09.2021 को अभियुक्त 1. प्रशान्त पुत्र सलेन सरकार निवासी ग्राम शान्तिपुर थाना बडा बाजार जिला नादिया पश्चिम बंगाल वर्तमान पता झुग्गी झोपडी नाले के पास ग्राम बरौला थाना सेक्टर 49 नोएडा को घटना के 06 घंटे बाद ही मोरना बस स्टैड से गिरफ्तार किया गया है।

### अभियुक्त का विवरणः

प्रशान्त पुत्र सलेन सरकार निवासी ग्राम शान्तिपुर थाना बडा बाजार जिला नादिया पश्चिम

बंगाल वर्तमान पता झुग्गी झोपडी नाले के पास ग्राम बरौला थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

### पंजीकृत अभियोग का विवरणः

मु०अ०सं० ०९८२/२०२१ धारा ३७६कख भादवि० व ३/४ पोक्सो एक्ट थाना सेक्टर ४९ नोएडा गौतमबुद्धनगर।



5-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से टाटा 407 में लदे 25 लोहे के पाइप के टुकड़े, 02 ऑक्सीजन सिलेंडर, 01 एलपीजी सिलेंडर, 01 कटर, 02 हथौड़े बरामद।

दिनांक 24.09.2021 को थाना फेस 3 नोएडा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त 1. सद्दाम हुसैन पुत्र अच्छन अली निवासी ग्राम धनौली थाना बिल्सी जिला बदांयू वर्तमान पता गाजीपुर डेरी फार्म थाना गाजीपुर दिल्ली 2. सुरेन्द्र पासवान पुत्र राजनारायण पासवान निवासी गांव उदयपुर थाना डौकी जिला बिलया वर्तमान पता एफ ब्लाक पानी की टंकी सेक्टर 63 नोएडा को एफ ब्लॉक चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से टाटा 407 नम्बर यूपी 14 जीटी 5407 में मे लदे हुये चोरी के 25 लोहे के पाइप के टुकड़े, 02 ऑक्सीजन सिलेंडर, 01 एलपीजी सिलेंडर, 01 कटर, 02 हथीड़े बरामद किये गये है।

### अभियुक्तों का विवरणः

- 1. सद्दाम हुसैन पुत्र अच्छन अली निवासी ग्राम धनौली थाना बिल्सी जिला बदांयू वर्तमान पता गाजीपुर डेरी फार्म थाना गाजीपुर दिल्ली
- 2. सुरेन्द्र पासवान पुत्र राजनारायण पासवान निवासी गांव उदयपुर थाना डौकी जिला बलिया वर्तमान पता एफ ब्लाक पानी की टंकी सेक्टर 63 नोएडा गौतमबुद्धनगर।

#### बरामदगी का विवरणः

- 1. 25 लोहे के पाईप के टुकड़े
- 2. 02 ऑक्सीजन सिलेण्डर
- 3. 01 एल.पी.जी. सिलेण्डर
- 4.01 कटर
- 5. 02 हथौड़े
- 6. 01 टाटा 407 नम्बर यूपी 14 जीटी 5407



#उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के तहत कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला एवं बाल अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है गहन कार्यवाही

पुलिस किमश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशन में गौतमबुद्धनगर पुलिस एवं अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्नोई के द्वारा महिला एवं बाल सम्बन्धित अपराध में गहन पैरवी करने के फलस्वरुप अभियुक्त अब्दुल पुत्र रब्बुल खान निवासी सिह गांव थाना नरवई जिला किटहार बिहार को माननीय न्यायालय एडीजे /स्पेशल पोक्सो-1 गौतमबुद्धनगर श्री निरंजन कुमार द्वारा 06 वर्ष का साधारण कारावास एवं 02 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान तृतीय के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह के निर्देशन में अभियोजन अधिकारी श्री नीटू विश्लोई की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मु0अ0स0 277/2015 धारा 363,366, भादवि थाना फेस-2 गौतमबुद्धनगर में दिनांक 24.09.2021 को माननीय न्यायालय एडीजे/ स्पेशल पोक्सो-1 द्वारा अभियुक्त अब्दुल पुत्र रब्बुल खान निवासी सिंह गांव थाना नरवई जिला कटिहार बिहार को माननीय न्यायालय एडीजे/स्पेशल पोक्सो-1 श्री निरंजन कुमार द्वारा 06 वर्ष कारावास एवं 02 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दिण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी के कारण लगातार अभियुक्तों को सजा दिलायी जा रही है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर की आगे भी प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।